न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 28 / 2018

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
मूलाराम पुत्र सकाराम जाति प्रजापत निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2017 जो अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 11 / 03 / 2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलार्थी के कृषि भूमि संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत निर्धारित फॉर्म–क में एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत कर मौजा सिवाना के खसरा नम्बर 2517 / 294 रकबा 00–19 बीघा अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई एवं प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 02.05.2018 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की गलत एवं तथ्यों से परे रिपोर्ट के आधार अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश के द्वारा संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया हैं। हल्का पटवारी द्वारा कार्यालय में बैठकर संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के आवागमन हेतु कटाण मार्ग नहीं होना एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजरने का तथ्य अंकित करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अपीलार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 294 का आपसी सहमति से विभाजन कराया गया एवं चार भागों विभक्त खेत के प्रत्येक खसरें के लिए आवागमन हेतु रकबा 13 बिस्वा का कटाण रास्ता खसरा नम्बर 2520/294 छोड़ा गया हैं। पक्षकारान द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का सहमति से विभाजन कराये जाने एवं नक्शा में पृथक–पृथक तरमीम अंकित किये जाने के बाद नेखमबन्दी करवाई जाकर सीमाचिन्ह निर्धारित कराये तथा इसकी मौका फर्द में इसी हल्का पटवारी द्वारा आवागमन हेतु रास्ता होना अंकित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना तथ्यों की तस्दीक कराये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही व किसी भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने से पूर्व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्बन्धित हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन किये जाने हेतु रेस्पोडेंट को निर्देशित करावें।

5. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि तक आने–जाने के लिये कोई कटाण मार्ग नहीं हैं तथा प्रस्तावित भूमि के उपर से हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही हैं। इस पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया हैं कि प्रस्तावित भूमि तक आवागमन हेतु कोई कटाण मार्ग उपलब्ध नहीं हैं तथा हाईटेंशन विद्युत लाईन गुजर रही हैं। इस तथ्य के सम्बन्ध में इस अपील के द्वारा प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी एवं अन्य पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाते हुए प्रत्येक खसरे की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता के रूप में 13 बिस्वा भूमि रखी गई है, इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित मूल पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा कथित रास्ता के रूप में रखी गई भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उनकी संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं तथा उसे रास्ता के रूप में समर्पण नहीं की गई हैं साथ ही प्रस्तावित भूमि पर हाईटेंशन विद्युत लाईन भी गुजरना प्रकट किया गया हैं जिसके लिये अपीलार्थी द्वारा इस अपील में कोई कथन नहीं किया हैं, ऐसे में नियमानुसार आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से रास्ता के अभाव में तथा विद्युत की हाईटेंशन लाईन के नीचे आवासीय संपरिवर्तन की अनुमति दिया दिया जाना संभव नही हैं। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का जो निर्णय लिया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. आदेश आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर